

✓
4 11

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 1.3 (8) नविवि/3/2001

जयपुर, दिनांक: 12.7.2001

:: सशाधन ::

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 5 (8) नविवि/3/99 दिनांक 26.5.2000 के बिन्दु संख्या 2 के द्वितीय पैरा को विलोपित करते हुए निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जात है :-

ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि नगर निकाय/न्यास या प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी हो उसे नियमन/भू-उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से राजकीय भूमि के समकक्ष ही माना जावेगा, चाहे ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. त्रिशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
2. नजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. नमस्त संभागीय आयुक्त,
5. नमस्त जिला कलेक्टर,
6. नमस्त नगर विकास न्यास,
7. निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर लेख है कि समस्त नगर नरिपद/नगर पालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने की व्यवस्था करें।

उप विधि परामर्श